प्रशासन गावों के संग अभियान–2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी (बाड़मेर)

(शिविर प्रभारी पंचायत समिति सिणधरी / पायलाकला)

पीठासीन अधिकारी श्री वीरमाराम आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 131 / 2020

प्रार्थीगण

1. डूंगराराम वल्द हीराराम
2. खंगाराराम वल्द हीराराम
3. रामाराम वल्द हीराराम
4. हुकमाराम वल्द हीराराम
5. खेतूदेवी पत्नी हीराराम
6. अचलाराम वल्द ताजाराम
7. आसूराम वल्द ताजाराम
8. रूपाराम वल्द ताजाराम
9. ईशराराम वल्द ताजाराम
10. कसूम्बी पत्नी ताजाराम
11. किसना वल्द देदाराम
12. पदमाराम वल्द देदाराम

जाति जाट साकिन सोनगिरी की ढाणी ग्राम पंचायत आमलियाला पटवार मण्डल भेडाना तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेमाराम वल्द दानाराम
2. हनुमानराम वल्द दानाराम
3. गुमनीदेवी पत्नी दानाराम

कौम जाट साकिन सोनगिरी की ढाणी ग्राम पंचायत आमलियाला

4. रतना वल्द लुम्बा
5. राणा वल्द देवा,
6. नाथा वल्द देवा

कौम कलबी साकिन सोनगिरी की ढाणी ग्राम पंचायत आमलिया

7. खूमाराम वल्द जेठाराम कौम जाट साकिन सोनगिरीकी ढाणी ग्राम पंचायत आमलियाला
8. शाखा प्रबन्धक ए.बी.बी.जे. / एस.बी.आई.शाखा गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. शाखा गुड़ामालानी
10. शाखा प्रबन्धक RMGB शाखा सड़ा
11. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 6/10/21

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भेडाणा के राजस्व ग्राम सोनगिरी की ढाणी [illegible] खसरा [illegible] रकबा 80–03 वीघा का प्रार्थीगण की खातेदारी तथा खसरा संख्या [illegible] /1 [illegible] 82–10 बीघा का विप्रार्थीगण की खातेदारी का [illegible] खसरा संख्या 228 से विभक्त होकर बने हैं, [illegible] में हल्का पटवारी ने बिना मौका [illegible] लट्ठा ट्रेस में करदी जो प्रार्थीगण व विप्रा[illegible] के कब्जा काश्त से [illegible] इसलिये तरमीम दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:44:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
पं.स. सिणधरी/पायला कलां
(उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक 457 दिनांक 24.02.2021 पेश कर निवेदन किया कि मौजा सोनगिरी की ढाणी में प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 228 रकबा 82–10 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें से 2–07 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई है। खसरा नम्बर 228 रकबा 82–10 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में मूल खसरा नम्बर 228 रकबा 165–00 बीघा भूमि में से जरिये बेचान से दर्ज नामान्तरकरण संख्या 132 की स्वीकृति से रेकर्ड में खसरा नम्बर 228 रकबा 82–10 बीघा व खसरा नम्बर 228/1 रकबा 82–10 बीघा अमलदरामद किया गया। जिसका तरमीम अक्ष नामान्तरकरण पुश्त पर नहीं है। खसरा नम्बर 228 व 228/1 की तरमीम बेचान दस्तावेज में अंकित पडौसीयान खसरा अनुसार मौके से आंशिक भिन्न रेकर्ड में दर्ज की गई है। खेत खसरा नम्बर 228 व 228/1 की मौका स्थिति तरमीम से आंशिक भिन्न संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग हरा अनुसार खसरा 228 व शेष बिना रंग अनुसार खसरा नम्बर 228/1 की है। तथा खसरा नम्बर 228 की राजस्व रेकर्ड में तरमीम संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग हरा अनुसार शुद्ध करने की अनुशंषा की है।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **आमलियाला** पेश हुई। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विप्रार्थीगण स्वयं उपस्ति हुए तथा आपसी समझौता कर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार कर इसी अनुसार तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया।

हमने मजमेआज जानकारी ली तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं विप्रार्थीगण भी तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त कराने हेतु सहमत हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी ने भी उक्त खसरान की वर्तमान तरमीम में भिन्नता होने से तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट क्रमांकः भू0अ0/2021/457 दिनांक 24.02.2021 के अनुसार ग्राम सोनगिरी की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 228 की राजस्व रेकर्ड में तरमीम संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग हरा अनुसार दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की उक्त मौका रिपोर्ट भू0अ0/2021/457 दिनांक 24.02.2021 निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालय आमलियाला में खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.11 16:44:03 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति, पायलाकला
(उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)